HINDI

Court Network

अदालत में आपका दिन

A Guide

Magistrates' Court

मजिस्ट्रेट की अदालत में अदालती मामलों के प्रकार

क्रिमिनल (आपराधिक): ऐसा मामला, जहाँ पुलिस का कहना है कि आपने कानून का उल्लंघन किया है। जैसे कि, यातायात के अपराध, चोरी या मार-पीट।

सिविल (नागरिक): दो पक्षों के बीच विवाद। जैसे कि, ऋण, कांट्रेक्ट (अनुबंध) तोड़ना, भुगतान न किए गए जुर्माने।

इंटरवेन्शन ऑर्डर (हस्तक्षेप आदेश): ऐसा मामला, जहाँ कोई व्यक्ति हिंसक रहा है या उसने किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुँचाया है जैसे कि परिवार का कोई सदस्य, पड़ोसी, अजबनी, और पुलिस या प्रभावित व्यक्ति सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप आदेश की मांग कर रहा है।

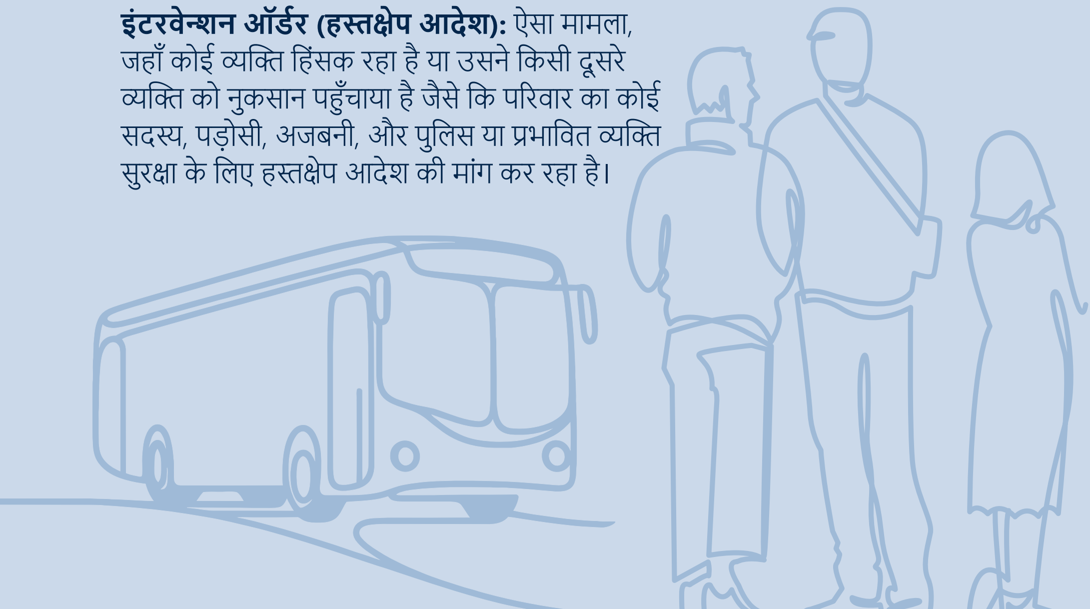

अदालत के लिए तैयारी करना

अदालत जाना

- अदालतें हमेशा जनपरिवहन के करीब नहीं होती हैं और पार्किंग हमेशा नि:शुल्क या उपलब्ध नहीं भी होती है। अदालत की अपनी तिथि से पहले इस बात पर विचार करें कि आप अदालत के लिए आना-जाना कैसे करेंगे/गी।
- अदालत की इमारत में प्रवेश करने के लिए आपको सिक्योरिटी से होकर गुजरना होगा। अदालत में कोई हथियार या नुकीली वस्तुएँ न लाएँ।

यदि आपको दुभाषिए की आवश्यकता है

- यदि आपको अदालत में अपनी सहायता के लिए दुभाषिए की आवश्यकता है, तो अदालत की अपनी तिथि से पहले अदालत को कॉल करें, आप नि:शुल्क दुभाषिया सेवा के लिए पात्र हो सकते/ती हैं।
- यदि आपको दुभाषिए की आवश्यकता है, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप एक दुभाषिए का उपयोग करें। आपके लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि अदालत में क्या चल रहा है।
- यदि आपने दुभाषिए के लिए बुकिंग की है, तो आपकी अदालत की सुनवाई दुभाषिए के बिना नहीं होनी चाहिए। यदि आपको पक्का नहीं पता है कि दुभाषिए की बुकिंग की गई है या नहीं, तो रजिस्ट्री डेस्क के साथ जांच करें।

अदालत में पूरा दिन लग सकता है

- हो सकता है कि आप अदालत में कुछ घंटों या फिर पूरे दिन के लिए रहें, इसलिए अपने अदालत के दिन कोई अन्य एपॉइंटमेंट बुक न करने की कोशिश करें। यदि आपके बच्चे हैं या कोई ऐसे लोग हैं जिनकी आप देखरेख करते/ती हैं, तो उस दिन उनकी देखभाल के लिए किसी अन्य व्यक्ति की व्यवस्था करने की कोशिश करें या अदालत को बताएँ।

कानूनी सलाह

- अदालत जाने से पहले आपको कानूनी सलाह लेने की कोशिश करने का सुझाव दिया जाता है। यदि आपने किसी वकील से बात नहीं की है, तो आप रजिस्ट्री से पूछ सकते/ती हैं कि क्या आप ड्यूटी वकील सेवा के लिए पात्र हैं।

सहायता

- यदि संभव हो, तो किसी सहायक व्यक्ति को अदालत में अपने साथ लाएँ। यह कोई मित्र या परिवार का सदस्य हो सकता है। यदि यह संभव नहीं है या आपको अदालत तथा उसकी प्रक्रियाओं से परिचित किसी व्यक्ति से अतिरिक्त सहायता चाहिए, तो आप Court Network से 1800 571 239 पर सहायता के लिए बुकिंग कर सकते/ती हैं।

क्या पहनें और क्या साथ लाएँ

- स्मार्ट, साफ कपड़े पहनें
- अल्पाहार (स्नैक्स) और पानी, पूरी तरह से चार्ज किए गए डिवाइस और अपने केस/मामले से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज़ साथ लाएँ।
- अदालत में टोपी या हैट पहनकर न आएँ या कोई धातु या काँच का सामान न लाएँ।

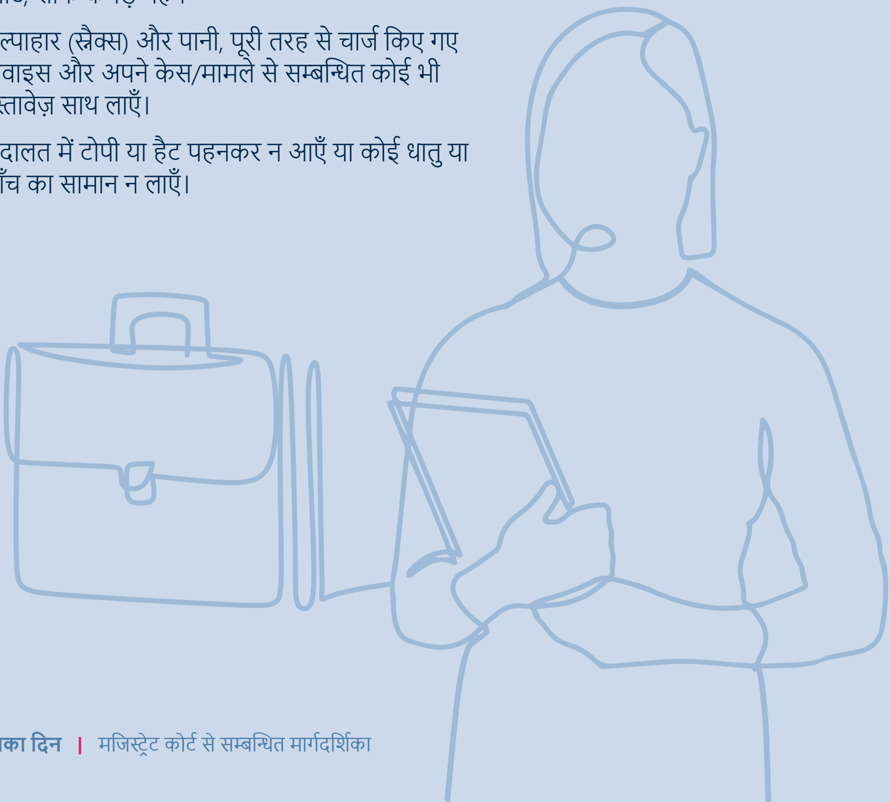

अदालत

आगमन पर

- अदालत आने पर सबसे पहले रजिस्ट्री काउंटर पर जाएँ।
- रजिस्ट्री कर्मचारियों को बताएँ कि आपकी अदालती सुनवाई है, उन्हें अपने अदालती दस्तावेज़ दिखाएँ।
- यदि अदालत ने आपके लिए दुभाषिया बुक किया है, तो कर्मचारियों से पूछें कि वे कब आएँगे। यदि कोई दुभाषिया बुक नहीं किया गया है परन्तु आपको दुभाषिए की ज़रूरत है, तो कर्मचारियों से पूछें कि क्या कोई दुभाषिया उपलब्ध है।
- रजिस्ट्री कर्मचारी यह पूछेंगे कि क्या आपका कोई वकील है या फिर आप अपना प्रतिनिधित्व खुद कर रहे/ही हैं। यदि आपका कोई वकील नहीं है, तो आपको यह देखना चाहिए कि क्या अदालत में कोई ड्यूटी वकील उपलब्ध है।
- रजिस्ट्री आपको बताएगी कि आपके केस की सुनवाई अदालत के किस कक्ष में की जाएगी।
- यदि आपको सुरक्षा से संबंधित कोई चिंताएँ हैं, तो रजिस्ट्री या सिक्योरिटी को बताएँ।

अपने केस के लिए प्रतीक्षा करना

- अपने केस की सुनवाई के लिए प्रतीक्षा करते समय इंतज़ार के लिए एक प्रतीक्षा-क्षेत्र होता है। कृपया धैर्य बनाए रखें, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ घंटे प्रतीक्षा करनी पड़े।
- यदि किसी कारण से आपको अदालत छोड़कर जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो कृपया रजिस्ट्री को बताएँ ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप अपने केस से चूक न जाएँ।
- यदि दुभाषिए की बुकिंग की गई है, तो आपके दुभाषिए के आने तक आपके मामले की सुनवाई शुरू नहीं होनी चाहिए।
- जब आपका मामला तैयार होगा, तो आपको न्याय कक्ष में बुलाया जाएगा।

न्याय कक्ष

- अपने मामले की बारी आने पर न्याय कक्ष में जाएँ।
- अपना फोन साइलेंट पर कर दें।
- प्रवेश करते समय और बाहर निकलते समय मजिस्ट्रेट को झुककर अभिवादन करें।
- आपके मामले में जो हो रहा है, उसके संबंध में मजिस्ट्रेट आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। यदि आपका कोई वकील है तो उसे अपनी ओर से बोलने दें, परन्तु यदि आपका कोई वकील नहीं है तो आप मजिस्ट्रेट से स्वयं बात कर सकते/ती हैं। मजिस्ट्रेट को "योर ऑनर" कहकर संबोधित करें।
- केस से सम्बन्धित जानकारी सुनने के बाद, मजिस्ट्रेट इस बारे में फैसला लेंगे कि क्या करना है। आपको वापस अदालत आने की ज़रूरत पड़ सकती है, या हो सकता है कि आपका केस उसी दिन समाप्त हो जाए।
- यदि आप इस बारे में स्पष्ट नहीं हैं कि क्या हो रहा है, तो मजिस्ट्रेट से सवाल पूछना भी ठीक है।

अदालत के बाद

- मजिस्ट्रेट द्वारा आपका केस समाप्त करने के बाद आपको दस्तावेज़ इकट्ठे करने या इनपर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जा सकता है।
- रजिस्ट्री डेस्क पर जाएँ और पता करें कि क्या आपको अदालत छोड़कर जाने से पहले कुछ करने की ज़रूरत तो नहीं है।
- यदि अदालत के बाद आपके पास कोई सवाल हैं या आप अदालत वापस आ रहे/ही हैं और आपको सहायता चाहिए, तो आप Court Network को 1800 571 239 पर कॉल कर सकते/ती हैं।

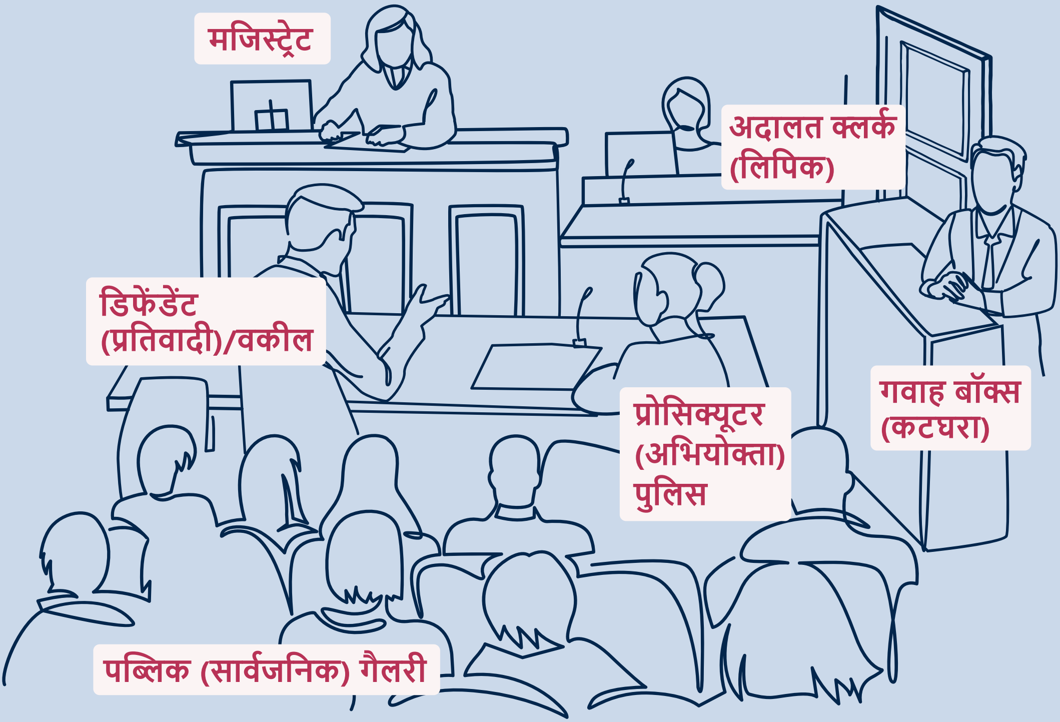
मजिस्ट्रेट
अदालत क्लर्क (लिपिक)
डिफेंडेंट (प्रतिवादी)/वकील
प्रोसिक्यूटर (अभियोक्ता) पुलिस
गवाह बॉक्स (कटघरा)
पब्लिक (सार्वजनिक) गैलरी

Victorian Legal Services
BOARD + COMMISSIONER

Funded through the Legal Services Board Grants Program

Court Network
1800 571 239
www.courtnetwork.com.au
admin@courtnetwork.com.au
Lvl 5, 555 Lonsdale Street,
Melbourne, Vic, 3000

यह अदालत में आपके दिन के लिए एक सामान्य मार्गदर्शिका है। अदालत की प्रक्रियाओं के बदलने के साथ-साथ सूचना परिवर्तन के अधीन है।

ऑनलाइन संसाधनों की सुलभता के लिए, जिसमें अन्य भाषाओं में संसाधन भी शामिल हैं

Court Network के प्रति रेफरल करने के लिए